निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

देवियो एवं सज्जनो,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन परिणाम

आपकी कंपनी, जो कि भारत की मुख्य व्यापारिक कंपनियों में से एक है, ने गत वर्ष के 124606.41 मिलियन रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 115934.28 मिलियन रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में 15801.4 मिलियन रुपये का निर्यात, 84802.6 मिलियन रुपये का आयात तथा 15330.3 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। पिछले वर्ष के 548.93 मिलियन रूपये के लाभ की तुलना में कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 570.59 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

(रुपए मिलियन में)

	2016-17	2015-16
उत्पादों की बिक्री	115,680.01	124,344.04
सेवाओं की बिक्री	254.27	262.37
अन्य व्यापार अर्जन	1,149.30	1,083.19
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	117,083.58	125,689.59
बिक्री लागत	114,839.06	123,724.47
प्रचालन से प्राप्त सकल लाभ	2,244.52	1,965.12
जोड़ें : लाभांश एवं अन्य आय	145.71	278.37
घटाएं : स्थापना एवं प्रशासनिक उपरिव्यय आदि।	2,477.12	2,549.60
घटाएं : बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	6.61	0.97
घटाएं : संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान	4.80	2.80
ब्याज, मूल्यह्रास उऋणता खर्च एवं करों से पूर्व लाभ	(98.30)	(309.89)
जोड़ें : अर्जित ब्याज (निवल) (वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	64.66	293.33
मूल्यह्रास, उऋणता खर्च व करों से पूर्व लाभ	(33.64)	(16.55)
घटाएं : मूल्यह्रास एवं उऋणता खर्च	66.78	57.97
घटाएं : असाधारण मदें	(912.74)	(653.67)
करों से पूर्व लाभ	812.32	579.14

	2016-17	2015-16
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	**274.53**	44.20
घटाएं : आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(32.80)**	(14.00)
कर पश्चात लाभ	**570.59**	548.93
जोड़ें : पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**6,979.76**	6,824.29
अन्य व्यापक आय की मदें जिन्हें रखी गई कमाई में सीधे तौर पर ले लिया गया है		
कर घटाकर पोस्ट एम्प्लायमेंट लाभ का दायित्व	**0.09**	(8.54)
फारवर्ड कांट्रेक्ट पर अनअमोर्टाईज्ड प्रिमियम	**-**	7.36
कारपोरेट समाजिक दायित्व से अंतरण	**-**	0.07
लाभांश एवं लाभांश कर	**(361.07)**	(300.89)
उपयोग		
सामान्य रिजर्व	**-**	(100.00)
अन्य समायोजन	**-**	8.54
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**7,189.37**	6,979.76

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्यनिष्पादन, प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण संलग्न रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो इस रिपोर्ट का एक अंग है।

अवार्ड व रैंकिंग

- कैपेक्सिल अवार्ड – वर्ष 2014–15 के लिए खनिजों के कुल निर्यात हेतु। एमएमटीसी को सर्वोच्च श्रेणी का यह प्रतिष्ठित अवार्ड लगातार 24वीं बार प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ''सर्वाधिक ग्राहकों को गोल्ड की सप्लाई करने वाली बेस्ट एजेंसी'' के लिए जीजेईपीसी द्वारा सम्मान।
- बेस्ट नोमिनेटिड एजेंसी – वित्त वर्ष 2015–16 – इंडिया इंटरनेशनल गोल्ड कंवेंशन 2016
- बेस्ट नोमिनेटिड एजेंसी – वित्त वर्ष 2015–16 – बुलियन फेडरेशन ग्लोबल कंवेंशन 2016
- मर्चेंट श्रेणी में एमईआईएस आइटमों के एक्सपोर्ट में उत्तम प्रदर्शन के लिए ईईपीसी द्वारा विशेष ट्राफी
- प्रोडेक्ट ग्रुप में वर्ष 2014–15 के लिए स्टार परफोर्मर अवार्ड – बेसिक आयरन ओर तथा स्टील (बडे उद्यमी– इंजीनियरिंग एक्पोर्ट प्रमोशन कांउसिल द्वारा)
- इंडिया लैड जिंक डेवलप्मेंट एसोसिएशन द्वारा खनिज व धातु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान के लिए
- बडे उद्योग (पीएसयू) के लिए बेस्ट एचीवर अवार्ड – उत्कल चेंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (यूसीसीआई) एक्पो 2017
- नवभारत सीएसआर लीडरशिप समिट अवार्ड – 2016 में सर्वोत्तम सीएसआर समुदाय विकास में गतिविधियों के लिए
- वर्ष 2017 में राजभाषा मे उत्तम कार्य करने के लिए विशेष प्रशंसा पुरस्कार।

पुरस्कार एवं रैंकिंग

Awards
Supported by
EXPO-2017

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल ने कंपनी की 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी पूंजी पर कंपनी के लाभ से वर्ष 2016–17 के लिए 30 प्रतिशत की दर से लांभाश घोषित करने की सिफारिश की है।

रिजर्व

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 13149.58 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। कंपनी के निदेशकों ने निगम के लाभ से 30 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। तदानुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 13359.15 मिलियन रूपये उपलब्ध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

	अर्जन		**बहिर्गमन**
	मिलियन रुपये में		मिलियन रुपये में
निर्यात	15,473.32	आयात	100,786.97
अन्य	1.02	अन्य	111.16
कुल	**15,474.34**	**कुल**	**100,898.13**

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को व्यापार व वाणिज्य के उदारीकरण/वैश्वीकरण, दक्षिण–पूर्व एशियाई बाजार में व्यापार की संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से अक्टूबर 1994 में निगमित किया गया था। कंपनी कमोडिटीज के व्यापार में कार्यरत है तथा इसने स्वयं को सिंगापुर में एक विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठावान आउट फिट के रूप में स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एमटीपीएल ने पिछले वर्ष के 108.28 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 113.17 यूएस डॉलर बिक्री के कारोबार का लक्ष्य प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एमटीपीएल द्वारा अर्जित निवल लाभ 0.04 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। दिनांक 31.03.2016 को एमटीपीएल की नेट वर्थ 15.40 मिलियन यूएस डॉलर की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने ओडिशा सरकार एवं अन्य के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ–साथ इस्पात उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट के फेज–2 ने काम करना आरंभ कर दिया गया है तथा स्टील बिलेट्स का उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। वर्ष 2016–17 के दौरान एनआईएनएल ने 12687.3 मिलियन रुपये, ईबीडीआईटीए का 14.4 मिलियन रुपए का कारोबार किया जिसमें 3567.44 मिलियन रुपये की हानि दर्ज की गई। यह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में आई स्थिरता तथा मुख्यतः आर्थिक मंदी के कारण हुआ। निरंतर तथा अथक प्रयासो के चलते एनआईएनएल अंततः ओडिशा सरकार के साथ कैप्टिव आधार पर आयरन ओर की माइनिंग लीज लेने में सफल रही है। यह लीज 874.24 हैक्टेयर क्षेत्र की है जिसमें ओडिशा राज्य में 92 मिलियन टन खनन योग्य रिजर्व है। माइंस से जून 2018 तक आयरन ओर का उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच स्थापित करने के लिए नाल्को के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। स्टील निर्माण क्षेत्र में स्थिरीकरण आ जाने तथा चालू वर्ष के अंत तक आयरन ओर की माइनिंग आरंभ हो जाने के साथ, एनआईएनएल के कार्य निष्पादन में आर्थिक सुधार होने की अपेक्षा है।

प्रोजेक्ट्स/संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा आपकी कंपनी द्वारा पूर्व वर्षों में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के मॉडल का अनुसरण करते हुए कई संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किए गए है। इन संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पैम्प स्विटजरलैंड के साथ 26 प्रतिशत इक्विटी पार्टनर रूप में मेडालियन निर्माण

इकाई के लिए बनाए गए संयुक्त उद्यम ने वर्ष 2016–17 के दौरान 243901.61 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया है तथा 149.29 मिलियन रूपए का कर उपरान्त लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एमएमटीसी को एमएमटीसी–पैम्प इंडिया लिमिटेड में किए गए निवेश के लिए 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त हुआ। सोने व चांदी के लिए एमएमटीसी–पैम्प इंडिया लिमिटेड भारत की प्रथम एलबीएमए मान्यता प्राप्त रिफाइनर बन गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान एमएमटीसी ने एमपीआईपीएल द्वारा निर्मित गोल्ड बार की घरेलू बाजार में बिक्री करके 7922.2 मिलियन रुपये का कारोबार किया।

(ii) एमएमटीसी ने गजेंद्रगढ़ में मार्च 2007 में 25 विंड एनर्जी जनरेटर (डब्ल्यूईजी) के साथ 15 मेगावाट की विंडमिल परियोजना की स्थापना की है जो सफलतापूर्वक काम कर रही है तथा कर्नाटक राज्य की उर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी रही है। इस परियोजना से उत्पन्न उर्जा को एचईएससीओएम को बेची जाती है। वर्ष 2016–17 के लिए इस परियोजना का कुल कारोबार 77.3 मिलियन रुपयों का रहा जिसमें 68.6 मिलियन रुपये का लाभ हुआ।

(iii) दो तरफा व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के समरूप हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब तथा कांडला में फ्री ट्रेड एण्ड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए आईएल एण्ड एफएस आईआईडीसी के सहयोग से आपकी कंपनी द्वारा प्रोन्नत किए गए एसपीवी को भूमि आबंटित की गई है। मार्च 2016 में 2.75 एकड़ के दो प्लॉटों की भूमि कांडला एफटीडब्ल्यूजेड़ में लीज़ पर ली गई है। इसका वार्षिक राजस्व 5.39 मिलियन रुपये का है। प्लाट्स को लीज पर देने के लिए दूसरी यूनिटों से बात चल रही है। विकास आयुक्त ने कांडला एफटीडब्ल्यूजेड में एक यूनिट लगाने के लिए अनुमति दे दी है।

(iv) युनाइटिड स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम तथा स्टाइल पर आपकी कम्पनी ने करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भागीदारी की थी जो वर्ष के दौरान बीएसई लिमिटडे (बीएसई) के साथ मर्ज हो गई है तथा इसके परिणामस्वरूप 2/– रुपये प्रतिशेयर के हिसाब से आपकी कंपनी के पास बीएसई में 38,961 इक्विटी शेयर हैं। वर्ष के दौरान बीएसई ने वर्ष 2015–16 के 1328.6 मिलियन रुपये की तुलना में 1986.4 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है तथा प्रत्येक 2/– रुपये के इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का अन्तरिम लाभांश घोषित किया है। बीएसई के शेयरों को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर लिस्टिड किया गया है।

(v) आपकी कंपनी की दिनांक 31.3.2017 को इंडियन कमोडिटी एक्स्चेंज (आईसीईएक्स) में 9.55 प्रतिशत की इक्विटी पूंजी लगी है। यह 1675 मिलियन रुपये की पेड–अप कैपिटल मे से है जो कि आईसीईएक्स (850 मिलियन रुपये) के राइट्स इश्यु के परिणामस्वरूप है जिसमें एमएमटीसी ने हिस्सा नहीं लिया है। वर्ष 2016–17 के लिए आईसीईएक्स ने 148.5 मिलियन रुपये की हानि की सूचना दी है। आईसीईएक्स ने सेबी से ब्रेन्ट क्रूड तथा डब्ल्यूटीआई क्रूड में व्यापार करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के साथ डायमण्ड कांट्रेक्ट लांच करने की आवश्यक अनुमति ले ली है। हमें अब सेबी से व्यापारिक गतिविधि चलाने की मंजूरी मिल गई है।

(vi) संयुक्त उद्यम कंपनी – मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) कर्नाटक राज्य के बेल्लारी – हॉस्पेट क्षेत्र से निर्यात के लिए आयरन ओर उपलब्ध न होने के कारण कर्मिशियल आपरेशन शुरू करने में असमर्थ रही है। आयरन ओर के निर्यात की अनिश्चितता के मद्देनजर तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपयोग में लाने के लिए कामराजार पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट) ने बोली लगाकर सुविधा को कोयले को हैंडल करने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का निर्णय लिया था। एसआईओटीएल इस प्रक्रिया के तहत संयत्र लेने में सफल रही। क्यूंकि एमएमटीसी की वर्तमान व्यापार श्रृंखला में कोयले का स्थान नहीं है एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने इस संयंत्र से निकलने का निर्णय लिया है जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है।

(vii) मैडालियन तथा आभूषण, दोनो के तैयार माल की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आपकी कंपनी ने एक प्रमुख कंपनी के साथ एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड के नाम से भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर खोलने के लिए एक संयुक्त उद्यम में साझेदारी की है। पिछले वर्ष के 283.24 मिलियन रुपये के कारोबार की तुलना में एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड ने वर्ष 2016–17 के लिए 266.24 मिलियन रुपये के कारोबार तथा 24.8 मिलियन रुपये की निवल हानि की रिपोर्ट दी है।

(viii) टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड – आपकी कंपनी ने टाटा स्टील लिमिटेड के साथ खनन अन्वेषण तथा सहायक गतिविधियां चलाने के लिए प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा काम करने के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की खोज में प्रयास किए जा रहे हैं।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी श्रम दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोशिएशनों/अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के साथ जेसीएम फोरम के तहत नियमित रूप से बैठकें की गईं ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1225 थी, इसमें 5 बोर्ड स्तर के कार्यपालक तथा 1 मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित 469 अधिकारी तथा 639 कार्मिक शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 6 अधिकारी, 105 स्टाफ/कामगार शामिल हैं। कुल कर्मचारियों की मिश्रित संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 21.06 प्रतिशत (258 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.89 प्रतिशत (256 कार्मिक), 9.14 प्रतिशत (112 कार्मिक), 9.39 प्रतिशत(115 कार्मिक) तथा 1.96 प्रतिशत (24 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती तथा खुले विज्ञापन के माध्यम से 08 अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

आरक्षण नीति

भर्ती तथा पदोन्नति से संबंधित अ.जा/अ.ज.जा, ओबीसी तथा शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संगठन की सेवाओं में भर्ती तथा पदोन्नति में पूरी तरह पालन किया गया है।

प्रशिक्षण एवं विकास

व्यापार के निरंतर बदलते परिवेश में कर्मचारियों के कौशल में और अधिक वृद्धि/विकास लाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 556 कर्मचारियों को कंपनी के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण इन–हाउस फैक्लटी के साथ–साथ बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों से फैक्लटी लेकर भी किया गया है। प्रशिक्षण के लिए नामित कार्मिकों मे अजा/अजजा तथा महिला कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा (अजा–71, अजजा–33 तथा महिलाएं – 162) मानव दिवस के अर्थों में वर्ष 2016–17 के दौरान ऐसा प्रशिक्षण 745 मानव दिवसों का रहा।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2016–17 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसके अलावा कारपोरेट कार्यालय के कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया गया। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे तथा दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारे कारपोरेट कार्यालय तथा बेंगलूरू उप क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित नराकास समिति ने क्रमशः विशेष प्रशंसा पुरस्कार तथा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

सतर्कता

आपकी कंपनी के सतर्कता विंग ने निवारक सतर्कता पर निरंतर बल दिया है जिससे कि मूल्य आधारित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख तथा भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का पेशेवर ढ़ंग

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

Knowledge Without Integrity Is Dangerous and Dreadful

से संचालन करने हेतु, इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संगठन बनाया रखा जा सके। आपकी कंपनी के सतक्रता प्रभाग के प्रयासों से कई प्रकार की ड्रील/मैन्युअल तैयार कर लागू किए गए हैं। विडियो कांफ्रेंस की नई पहल के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं तथा मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है। सतक्रता प्रभाग ने सिस्टम के असफल होने के मामलो की पहचान करने तथा ठीक करने, आचरण नियमों का प्रभावी ढ़ंग से लागू करने की प्रक्रिया को भी फिर से दुरूस्त किया है। वर्ष के दौरान प्रभाग ने 18 मामलों पर कार्रवाई की है (13 मामले पिछले वर्ष के थे जबकि 5 मामले नए थे)। इनमें से 9 शिकायतों का निपटान हो चुका है तथा शेष 9 मामलों पर कार्रवाई चल रही है तथा दो नए मामले भी पंजीकृत हुए है। सतक्रता प्रभाग की एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में दिनांक 31.01.2016 से 5.11.2016 तक "सतक्रता जागरूकता सप्ताह" मनाने में भी भूमिका रही है। जागरूकता सप्ताह "ईमानदारी स्थापित करने तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन में लोगों की प्रतिभागिता" थीम के साथ मनाया गया। निवारक सतक्रता दृष्टिकोण के बारे में कर्मचारियों को संवदेनशील बनाने के लिए विजिलेंस तथा नॉन–विजिलेंस अधिकारियों को जोनल आधार पर प्रशिक्षण दिया गया।

जागरूकता प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने वर्ष 2014 में एक "जागरूकता प्रक्रिया" आरंभ की है। इस जागरूकता प्रक्रिया में निदेशक तथा कर्मचारी अपने वास्तविक मामलों की सूचना दे सकते हैं। निदेशकों/कर्मचारियों के मामले, यदि कोई है तो, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजे जाएंगे। यह प्रक्रिया पहले से ही लागू विसल ब्लोअर नीति के अलावा है। इसके अतिरिक्त, इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी व्यक्ति की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलने के लिए नहीं रोका गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता

सत्यनिष्ठा समझौता को केन्द्रीय सतक्रता आयोग द्वारा सार्वजनिक सरकारी खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला के एक भाग के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। आपकी कंपनी में भी इसे सार्वजनिक खरीद में बिडर्स में पारदर्शिता/इक्विटी तथा प्रतिस्पर्धा प्रोन्नत करने के लिए लागू किया गया है। जिससे की कंपनी द्वारा किए गए व्यापार में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावनाओं को रोका जा सके। श्री डीआरएस चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत) को इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मोनीटर (आईईएम) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास एमएमटीसी की कारपोरेट सामाजिक नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 तथा कारपोरेट मामला. के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है। सीएसआर परियोजनाएं कंपनी अधिनियम की धारा 135 की शर्तों के अनुरूप पूरी की जा रही हैं। नई सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

सीएसआर नियमों के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास की प्रतिबद्धता में 8.14 मिलियन रुपये की राशि सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित की है जो कि कंपनी के पिछले वर्ष के औसत 2 प्रतिशत निवल लाभ के बराबर है।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत आवंटित फंड को मुख्यतः स्वच्छ भारत अभियान, गंगा सफाई अभियान, स्किल इंडिया मिशन, हैल्थकेयर तथा योग के उत्थान तथा स्पोर्ट्स/पैरा स्पोर्ट्स के उत्थान पर खर्च किया गया है। इसके अतिरिक्त एमएमटीसी ने दिव्यांगों को आर्टिफिसिएल लिम्ब तथा सहायक उपकरण वितरण में भी सहयोग दिया है। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा सर्वोत्तम कारपोरेट सुशासन (गवर्नेंस) की प्रथाओं को अपनाने तथा इनके प्रति समर्पण हेतु मजबूत आस्था रखती है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए मानकों तथा सेबी के दिशा–निर्देशों (लिस्टिंग ऑबलिगेशनस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) तथा इस विषय में सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग द्वारा जारी सीपीएसईज में लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाता है।

लिस्टिंग रेग्युलेशन में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी निर्धारणें के अनुपालन पर मेसर्स ब्लैक एण्ड कंपनी (सीपी न. 117114) से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ कारपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग से रिपोर्ट यहां संलग्न है जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि पब्लिक इन्ट्रपाइजेज द्वारा निर्धारित तथा सीपीएसईएस के लिए लागू सीजी मानदंडों का कंपनी द्वारा पालन किया गया है तथा इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट भी नियमित रूप से भेजी जाती है।

आचार संहिता

लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 15(5) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत बिजनेस आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, जो दिनांक 31 मार्च, 2017 को कंपनी के नियमित रोल्स

Welcome
MMTC Forme
Welfare Association

पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है। बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन तथा कार्मिकों से प्राप्त प्रतिबद्धता के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा नीचे दी गई है।

सेबी (लिस्टिंग रेगुलेशन एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन 2015 तथा करपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक घोषणा।

एक निदेशक (मार्केटिंग) के अलावा, बोर्ड के सभी सदस्यों ने, जो दिनांक 31 मार्च 2017 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए लागू व्यापार आचार संहिता तथा आचार नीति के अनुपालन की वचनबद्धता प्रकट की है।

ह0/–
वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

बिजनेस दायित्व रिपोर्ट

सेबी के रेग्युलेशन 2015 (लिस्टिंग ओबलिगेशनंस एण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) के रेग्युलेशन 34(2) के अनुसार आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने के लिए व्यापार दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। पर्यावरण, सामाजिक तथा गवर्नेंस संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा सुझाए गए फ्रेमवक्र तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्वों तथा सतत विकास सिद्धांत से संबंधित गतिविधियों के संबंध में है। आपकी कंपनी की बिजनेस दायित्व रिपोर्ट यहां संलग्न है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

एमएसई के लिए पीपीपी (सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के लिए लोक क्रय नीति)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की लोक क्रय नीति के अनुसरण में किए गए अपने प्रयासों में एमएमटीसी अपनी वार्षिक आवश्यकता के 20 प्रतिशत के लिए माल तथा सेवाओं का क्रय सूक्ष्म एव लघु उद्यमों से करने का प्रयत्न करती है। 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत आइटमों की खरीद अ.जा. तथा अ.ज.जा. से संबंधित उद्यमों से की जा रही है।

वर्ष 2016–17 के दौरान एमएमटीसी ने प्रशासनिक आवश्यकता की खरीद से संबंधित खरीद की है (मुख्यतः कार्यालय का सामान, स्टेशनरी, कार्यालय रखरखाव, हाउस कीपिंग तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल हैं) एमएमटीसी द्वारा रूपये 81.8 मिलियन की वार्षिक खरीद का 58.26 प्रतिशत (46.8 मिलियन रुपए) तथा 5.1 मिलियन रुपए की खरीद अ.जा/अ.ज.जा. के उद्यमियों से की जाने के लिए निर्धारित की गई है जो कि 20 प्रतिशत में अ.जा/अ.ज.जा के 4 प्रतिशत कुल लक्ष्य की तुलना में 31.19 प्रतिशत है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए एमएमटीसी का सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लोक क्रय नीति के अनुपालन में 80 मिलियन रुपये (+/– 10 प्रतिशत) के मूल्य का माल तथा सर्विस क्रय करने का इरादा है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2017 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

वार्षिक रिटर्न

कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट का सारांश निर्धारित फार्म–एमजीटी–9 में वर्णित है तथा यह संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधतंत्र के उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने ''शून्य'' टिप्णियां की हैं। इस संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) का दिनांक 25.7.2017 का पत्र संलग्न है।

सक्रेट्रियल आडिट

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए निगम की सक्रेट्रियल आडिट करने के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स ब्लैक एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सक्रेट्रियट लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। साचिविक लेखा परीक्षक के अवलोकन पर प्रबंधतंत्र के उत्तर के साथ साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फार्म एमआर–3 में) संलग्न है।

कंपनीज आधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत कवर ऋण तथा गारंटी का विवरण नोट संख्या 8, 10, 13 तथा 36 में दिया गया है। ये नोट वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड द्वारा विधिवत मंजूरी दिए जाने पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के वर्किंग क्रेडिट सुविधा की सीमा 14050 मिलियन रुपए तक बढ़ा दी है (दिनांक 31.03.2017 को घटकर 13450 हो गई) यह संयुक्त उद्यम कंपनी– मै. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए की गई है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार है तथा जिसमें से दिनांक 31.3.2017 को 13274.8 मिलियन रुपए बकाया है।

संबंधित पार्टी लेन–देन

संबंधित पार्टी के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन–देन सामान्य व्यापार की श्रेणी के थे तथा इनको अलग नहीं किया जा सकता। वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए लेखा परीक्षा समिति ने

बहुप्रयोजन के लिए अनुमोदन किया। उक्त संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। इण्ड एएस–24 के अधीन आवश्यक समुचित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44 में दर्शाया गया है। संलग्न प्रपत्र एओसी–2 में विवरणों के लेन–देन उपलब्ध करवाए गए हैं।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेन–देन पर नीति को निगम की निम्नलिखित वेबसाईट पर अपलोड किया गया है:– http://mmtclimited.com/files/.pdf/95_party_policy.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत जोखिम प्रबंधन नीति का निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया। निगम द्वारा अपनाए गए जोखिम प्रबंधन को संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, जोकि संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी के माइका ग्रुप में कोई उत्पादन गतिविधि नहीं हुई। अतः कंपनीज (अकाउंट्स) नियम, 2014 के नियम 8(3) के प्रावधान यहां लागू नहीं होते।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली के नियम 5(2), समय–समय पर संशोधित, के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2016–17 के दौरान 60 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक की राशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुई है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है किः–

ए) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और यदि किन्हीं विशेष मामलों में ऐसा नहीं किया गया है, तो इस बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है।

बी) निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

सी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को आन गोईंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

ई) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को विनिर्धारित किया है तथा उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा इनका प्रभावी रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

एफ) सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित सिस्टम बनाया गया है जो पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम में यौन उत्पीड़न के विरूद्ध नीति बनाई गई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के

कारपोरेट गतिविधियां

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर इस्कॉन के श्री अमोघ लीला प्रभु

क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में सीएमडी का दौरा

एमएमटीसी कालोनी में ध्वजारोहण

स्वच्छता निरीक्षण

क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापटनम में सीएमडी का दौरा

हैदरपुर जेजे कलस्टर में एमएमटीसी द्वारा सार्वजनिक शौचालय काम्प्लैक्स का निर्माण

सीएमडी का स्वागत

एमएमटीसी द्वारा समर्थित सीकेएस फाउंडेशन के बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस का आयोजन

समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाई गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अधीन हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान उपरोक्त अधीनियम के तहत कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2016 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

निदेशक का नाम	**श्रेणी**	**नियुक्ति की तारीख/समाप्ति**	**नियुक्ति/समाप्ति**
श्री राणा सोम	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	09.04.2016	समाप्ति
श्री एन. बाल भास्कर	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	09.04.2016	समाप्ति
डॉ. सुभाष पाणी	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	09.04.2016	समाप्ति
श्री एस.आर. तयाल	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	09.04.2016	समाप्ति
श्री आर. आनंद	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	15.06.2016	नियुक्ति
श्री बी.के. शुक्ला	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	04.07.2016	नियुक्ति
श्री एम. जी. गुप्ता	निदेशक (वित्त)	08.12.2016	समाप्ति
श्री राजीव जयदेव	निदेशक (कार्मिक)	31.12.2016	समाप्ति
श्री ए. के. भल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02.11.2016	समाप्ति
डॉ इन्द्र जीत सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02.11.2016	नियुक्ति
श्री टी. के. सेनगुप्ता	निदेशक (कार्मिक)	02.01.2017	नियुक्ति
श्री रजनीश गोयनका	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	27.01.2017	नियुक्ति
डॉ जयन्त दासगुप्ता	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	07.02.2017	नियुक्ति
श्री आर. आर. जड़ेजा	नॉन–आफिसियल (स्वतंत्र निदेशक)	11.02.2017	नियुक्ति
श्री आनंद त्रिवेदी	निदेशक (विपणन)	02.7.2017	समाप्ति

निदेशक मंडल उन सभी निदेशकों की प्रशंसीय सेवाओं और योगदान के लिए आभार प्रकट करता है जो दिनांक 01.0402016 से निदेशक मण्डल में नहीं रहे है। निदेशक मण्डल सर्वश्री आर आनन्द, बी.के. शुक्ला, डॉ इन्द्रजीत सिंह, टी.के. सेनगुप्ता, रजनीश गोयनका, डॉ जयन्त दास गुप्ता तथा आर. आर. जड़ेजा का स्वागत भी करता है तथा यह विश्वास व्यक्त करता है कि इन सभी के व्यापक तथा बहुआयामी अनुभव से कंपनी को असीम लाभा होगा।

वर्ष के दौरान दो पूर्णकालिक निदेशक – श्री एम.जी. गुप्ता तथा श्री आनन्द त्रिवेदी क्रमशः दिनांक 07.11.2016 तथा 06.12.2016 से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निलंबित किए गए हैं।

निदेशकों की क्रमवार सेवानिवृत्ति से संबंधित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधान के अनुसार श्री पी.के. जैन, निदेशक(विपणन) वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया है।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्टेकहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, कस्टमस्, पोर्ट, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सर्वोत्तम समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए सतत सहयोग की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता.
(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02988628

दिनांक 09.08.2017